संख्या- 80/2024/1431/छप्पन-2024-100/2013

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 09 सितम्बर, 2024

विषयः बरेली आर0सी0एस0 एयरपोर्ट पर सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत उपकरणों के किराये का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 71/आर0सी0एस0-2023-एस-3/2019 दिनांक 20 जून, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि एम0ओ0यू0 की व्यवस्था के आलोक में, बरेली आर0सी0एस0 एयरपोर्ट पर सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत उपकरणों के किराये के मद में हुए व्यय के माह मार्च, 2021 से सितम्बर, 2023 तक के डिमाण्ड नोट प्रेषित किए गए हैं, जो संलग्न कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं। जनपद बरेली एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित है और वहां से आर0सी0एस0 उड़ानों का संचालन दिनांक 08.03.2021 से हो रहा है। बरेली आर0सी0एस0 एयरपोर्ट से संचालित आर0सी0एस0 वायुसेवा हेतु माह मार्च, 2021 से सितम्बर, 2023 तक डिमाण्ड नोट प्रस्तुत किये गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

डिमाण्ड नोट का सन्दर्भ	अवधि	धनराशि (रूपए)
एएआई/सिविल हवाईअड्डा बरेली/सुरक्षा/ पी-05/2021 दिनांक 04.11.2022	08 मार्च 2021 से 31 मार्च, 2021 तक	228959.10
	01 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक	286198.86
	01 मई 2021 से 31 मई, 2021 तक	286198.86
	01 जून, 2021 से 30 जून 2021 तक	286198.86
	01 जुलाई, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक	286198.86
	01 अगस्त, 2021 से 31 अगस्त, 2021 तक	286198.86
	01 सितम्बर 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक	286198.86
	01 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर, 2021 तक	286198.86
	01 नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक	286198.86
	01 दिसम्बर, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक	286198.86
	01 जनवरी, 2022 से 31 जनवरी 2022 तक	286198.86
	01 फरवरी 2022 से 28 फरवरी, 2022 तक	286198.86
	01 मार्च 2022 से 31 मार्च, 2022 तक	286198.86
	01 अप्रैल, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 तक	286198.86
	01 मई, 2022 से 31 मई, 2022 तक	286198.86
	01 जून, 2022 से 30 जून, 2022 तक	286198.86
	01 जुलाई, 2022 से 31 जुलाई, 2022 तक	286198.86
	01 अगस्त, 2022 से 31 अगस्त, 2022 तक	286198.86
	01 सितम्बर 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक	286198.86
	01 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक	286198.86
	कुल धनराशि	**5666737.44**
	जी0एस0टी0 18%	**1020012.73**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

AAI/NR/RCS/2022-23/ दिनांक 20.01.2023	01 नवम्बर 2022 से 30 नवम्बर, 2022 तक	337714.65
AAI/NR/RCS/2022-23/ दिनांक 20.01.2023	01 दिसम्बर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक	337714.65
AAI/NR/RCS/2022-23/ दिनांक 02.05.2023	01 फरवरी, 2023 से 28 फरवरी, 2023 तक	337714.65
AAI/NR/RCS/2022-23/ दिनांक 02.05.2023	01 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक	337714.65
AAI/NR/RCS/2022-23/ दिनांक 29.06.2023	01 अप्रैल, 2023 से 30 अप्रैल, 2023 तक	337714.65
AAI/NR/RCS/2022-23/ दिनांक 29.06.2023	01 मई, 2023 से 31 मई, 2023 तक	337714.65
AAI/NR/RCS/2022-23/ दिनांक 25.07.2023	01 जून, 2023 से 30 जून, 2023 तक	337714.65
AAI/NR/RCS/2022-23/ दिनांक 19.08.2023	01 जुलाई, 2023 से 31 जुलाई, 2023 तक	211454.65
AAI/NR/RCS/2022-23/ दिनांक 25.10.2023	01 अगस्त, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक	211454.65
AAI/NR/RCS/2022-23/ दिनांक 25.10.2023	01 सितम्बर, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक	211454.65
	योग	**9685116.67** or say 9685117.00

नोटः 08 मार्च, 2021 से अक्टूबर, 2022 तक की अवधि के बिलों में, पूर्व में, जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित नहीं की गयी थी, इस त्रुटि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार करते हुए जी0एस0टी0 की मांग अतिरिक्त रूप से की गयी है। इसीलिए उक्त अवधि के बिलों की धनराशि व जी0एस0टी0 की धनराशि को अलग-अलग दर्शाया गया है। नवम्बर 2022 से सितम्बर, 2023 तक के बिलों में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है।

उक्त के दृष्टिगत बरेली आर0सी0एस0 एयरपोर्ट पर सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत उपकरणों के किराये का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किये जाने हेतु रु0 96,85,117/- (रूपया छियान्नबे लाख पच्चासी हजार एक सौ सत्रह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से बजट भी आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित बरेली एयरपोर्ट पर मार्च, 2021 से लेकर सितम्बर, 2023 तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं की बकाया धनराशि रू0 96,85,117.00/-(रूपये छियान्नवे लाख पच्चासी हज़ार एक सौ सत्रह मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 96,85,117.00/- अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त बिलों की शुद्धता एवं धनराशि की गणना के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 96,85,117.00/- (रूपये छियान्नवे लाख पच्चासी हज़ार एक सौ सत्रह मात्र)/- तत्काल आवंटित कर सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा "लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मानक मद 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-86/दस-2024-2025, दिनांक 03 सितम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 80/2024/1431(1)/छप्पन-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
4. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग, नई दिल्ली।
5. जिलाधिकारी, बरेली।
6. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बरेली एयरपोर्ट, बरेली।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13.
9. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।